

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

//निविदा आमंत्रण सूचना//

रायपुर शहर के विभिन्न स्थलों में स्थापित एल.ई.डी. बोर्ड पर 03 वर्षों के लिए विज्ञापन के अधिकार का कार्य




क्रमांक - 2021/भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2021

रायपुर दिनांक 20.06.2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर अन्तर्गत रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विभिन्न स्थलों पर एल.ई.डी. बोर्ड स्थापित किया गया है। इन एल.ई.डी. बोर्डों पर 03 वर्षों के लिए विज्ञापन का अधिकार हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में दिनांक 28/07/2021 को अपराह्न 5.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत लिफाफा 'अ' में (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो जीवित हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। लिफाफा 'ब' में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति, पाये जाने पर ही संबंधित एजेंसी का लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष दिनांक 29/07/2021 को अपराह्न 5.00 बजे को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	दो हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं		
निविदा अवधि	03 वर्ष		
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन		
क्र.	एल.ई.डी. स्थल का नाम	साईज	अमानत राशि
1.	नगर निगम मुख्यालय भवन के सामने स्थित खम्भों पर लगाये गये एल.ई.डी. बोर्ड	142.62 व.फु.	1.00 लाख
2.	मल्टीलेवल कार पार्किंग, ईएसी कालोनी	80 व.फु.	1.00 लाख

टीप-निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्तें एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।


नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित एल.ई.डी. बोर्डों पर विज्ञापन करने का कार्य।

संदर्भ :- नगर निगम रायपुर द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक..... दिनांक

—000—

क.	एल.ई.डी. बोर्ड स्थल का नाम	साईज	निविदा दर प्रथम वर्ष के लिए (राशि रु. में)
1.	नगर निगम मुख्यालय भवन के सामने स्थित खम्भों पर लगाये गये एल.ई.डी. बोर्ड	142.62 व.फु.	
2.	मल्टीलेवल कार पार्किंग, ईएसी कालोनी	80 व.फु.	

निविदा की समस्त शर्तों का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्तें हमें मंजूर हैं। जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :-

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :-

पूर्ण पता :-

दूरभाष क्र. एवं मोबाइल क्र. :-

अमानति राशि रु. 1.00 लाख के एफ.डी.आर. का विवरण :-

एल.ई.डी. बोर्डों पर विज्ञापन कार्य हेतु
आमंत्रित निविदा दिनांक 20/11/21 की शर्तें




1. निविदा द्वि-लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा 'अ' (1) अमानत राशि का FDR/DFY, जो जीवित हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। लिफाफा 'ब' में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में समस्त आवश्यक/वैध दस्तावेज पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' (निविदा दर का लिफाफा) खोला जायेगा।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें सभी अलग-अलग स्थलों के एल.ई.डी. बोर्ड हेतु अलग-अलग निविदा दर भरना होगा। प्रत्येक स्थल में जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा अर्थात् 02 अलग-अलग स्थलों हेतु 02 सफल निविदाकार हो सकते हैं।
4. निविदा हेतु अमानती राशि रु. 1.00 लाख का अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ. डी.आर. के रूप में जो कि जीवित हो, एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
5. एल.ई.डी. बोर्ड पर विज्ञापन का अधिकार के लिए निविदा 03 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की गई है। अवधि समाप्ति पश्चात् एल.ई.डी. बोर्ड चालू हालत में नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित करना होगा।
6. अनुबंध 03 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात् स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 5 प्रतिशत की कमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। भुगतान 03 माह से अधिक विलम्ब होने पर जमा राशि एवं अमानती राशि को राजसात करते हुए निविदा निरस्त की जा सकेगी एवं संबंधित एजेंसी का नाम काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
7. दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। समयावधि में इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश जारी दिनांक से किराया लागू माना जावेगा।
8. निविदा 03 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में प्रथम वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर, स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना अनिवार्य होगा तथा शेष 70% राशि कार्यादेश दिनांक से 03 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा।
8. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।



// 2 //

9. एल.ई.डी. बोर्ड का इंश्योरेंस एजेंसी को कराना होगा।
10. एल.ई.डी. बोर्ड पर विज्ञापन का कार्य एजेंसी को प्रति एक घंटे में 40 मिनट स्वयं का विज्ञापन एवं 20 मिनट में नगर निगम की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं शासकीय संदेशों का प्रचार-प्रसार करना होगा।
11. एल.ई.डी. बोर्ड में प्रसारित विज्ञापन यातायात में किसी प्रकार से बाधक नहीं होना चाहिए।
12. एल.ई.डी. स्क्रीन पर चलाये जा रहे विडियों का साऊंड नहीं होगा अर्थात् साऊंड लेस होगा। अनुमति पर ही आडियो से चलाया जावेगा।
13. एल.ई.डी. स्क्रीन की चमक (Brightness) कम से कम रखना होगा। चमक (Brightness) तेज चमकीला व आंखों को प्रभावित करने वाला न हो, जिससे वाहन चालक को वाहन चलाने में असुविधा उत्पन्न हो।
14. विद्युत देयकों का भुगतान निविदाकार एजेंसी को स्वयं करना होगा।
15. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा एल.ई.डी. बोर्ड में पर प्रचार-प्रसार करने के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
16. अन्य दूसरे विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेंसी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
17. निविदाकार एजेंसी स्थापित एल.ई.डी. बोर्ड में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
18. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
20. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात् मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार के एफ.डी.आर. को सफल संचालन एवं संधारण के साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत, नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।
21. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
22. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।


नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर